कहना है कि हीलिंग टच मिशन पर कोई ऐसा दल इन राज्यों में जाएगा और इन लोगों से मिलेगा। साथ ही वहां की राज्य कारों से बात करके जो भी लोग हों उनके बारे में अखबार में निकाल कर तथा उन लोगों से मिलें, प्रमाण लें और उनको ाकर वापिस ले जाएं। यह पहली बार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब में हुआ है जब पंजाब से लोग पलायन कर गए थे तो उन लोगों को मनाने के लिए गए थे। ऐसा करके उनको वापिस ले आइए और उनकी रोजी-रोटी वापिस दलवाइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, क्या मैं एक स्पष्टीकरण भी नहीं पूछ सकता हूं?

श्री उपसभापति: आप क्या पूछेंगे।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा निर्दिष्ट स्पष्टीकरण है कि जो बड़ी तादाद में लोग दूसरे राज्य से या तीसरे राज्य से किसी अन्य राज्य में जाकर बस जाते हैं क्या वहां लम्बे समय रहने के बाद उस राज्य की मतदाता सूची में उनका नाम आ ाता है तथा उनके मूल राज्य की मतदाता सूची में भी नाम है? क्या इसकी कृपया छानबीन करेंगे कि एक हिन्दुस्तानी ागरिक का दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम नहीं रहना चाहिए। मुम्बई में बड़ी संख्या में जो बाहर के लोग आए हैं, वहां रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र मतदाता सूची में और उनके मूल प्रदेश की मतदाता सूची में उनका नाम है? यह सब देखना होगा।

सर, एक और बात है, जैसे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन के लिए केन्द्र सरकार पैसा देती है वैसे अगर किसी राज्य से दूसरे ्य में जाकर वहां ज्यादा लोग रहते हैं तो क्या मूल राज्य के लोग जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य की भाषा सीखने के ्ये केन्द्र कुछ पैसा देगा?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I think the problem is altogether different. The migrant ·kers are not getting their names enrolled. They are facing difficulties. ऐसा नहीं है, उन लोगों ंभलता नहीं है, न हरियाणा में, न पंजाब में उसको वोटर एनरोल नहीं किया जा रहा है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन, जहां तक पहली बात है जो अहलुवालिया साहब ने बहुत ठीक कहा है कि हीलिंग ोना चाहिए और कांफिडेंस बिल्डिंग का काम होना चाहिए। हम प्रांत की सरकार को यह जरूर बोलेंगे कि जिस ति से आप यह कर सकते हैं आप करें। उन लोगों के आने के बाद उनको यह आश्वासन दे दें, उनको आश्वस्त करें उनके वहां वापिस आने पर उनके जानमाल को खतरा नहीं होगा इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। वे जो भी कर सकते सके लिए मैं उनसे कहूंगा। जहां तक पाणि जी का प्रश्न है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Short Duration Discussion is concluded. Now, the tement by the Minister.

STATEMENT BY MINISTER

lectronic transfer of monthly progress reports of Rural Development Programmes

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा क्रम में प्रावधान है कि ''ई-गवर्नेंस'' को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा।

माननीय प्रधान मंत्री ने कार्यान्वयन का स्तर बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग करने की इच्छा क्त की है। इनके संवर्द्धन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ; आयोजना, निगरानी और जानकारी देने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है।

मुझे इस सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के लोगों की जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट अब ऑन-लाइन भी उपलब्ध है। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे काफी संतुष्टि मिल रही है कि पारदर्शिता और खुलापन लाने के लिए रिपोर्टों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और इन्हें जनता के समक्ष रखा जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय उन माननीय संसद सदस्यों का अत्यंत आभारी है जिन्होंने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगर समितियों के अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष के रूप में अपना बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया है। उनकी सहायता करने के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों/संबंधित राज्यों में आने वाले जिलों के मासिक आधार पर मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों के इलेक्ट्रॉनि अंतरण की व्यवस्था बनाई है।

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने मेल बॉक्स में भेजी गई जनवरी, 2008 की मासिक प्रगति रिपोर्ट को देख लें। मंत्रालय ने अब तक 385 सदस्यों को इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रगति रिपोर्ट भेज दी हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित रिपोर्ट को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक करा समय इन जानकारियों का प्रयोग करें और अपनी बहुमूल्य जानकारी से हमें अवगत करायें ताकि हम अपनी ओर से आ की आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वेबसाइट पर शेष सदस्यों का ई-मेल आई॰डी॰ उपलब्ध नहीं है जिसके लिए माननी संसद सदस्यों से *mprmord@nic.in* पर ई-मेल आई॰डी॰ भेजने का अनुरोध किया गया है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि मंत्रालय से जिलों को निधियों के अंतरण की व्यवस्था पारदर्शी एवं कार बनाई गई है। सभी मंजूरी आदेश, चैकों के ब्यौरे और केंद्र सरकार से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में निधि के अन्तरण के ब्यौरे मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंत्रालय से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खातों में प्रतिशत निधियों का इलैक्ट्रॉनिक तरीके से अंतरण किया जा रहा है।

और अधिक पारदर्शिता लाने तथा स्टेक होल्डरों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सभी र सरकारों को यह सलाह दी है कि वे विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को नेट पर उपलब्ध मासिक प्रगति रि भेजें। राज्यों से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को यह निदेश देने के लिए भी कहा गया है कि वे जिले की पंचायती संस्थाओं के कर्मियों से संबंधित जानकारियों का आदान-प्रदान करें। मंत्रालय ने इस व्यवस्था के जरिए मंत्रालय अंतर्गत आने वाले मीडिया कर्मियों को भी मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रति भेजने का भी निर्णय लिया है।

आप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में और अधिक जानकारी प्र करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट *www.rural.nic.in* को भी देख सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 11.00 a.m. on 10th March, 2008.

The House then adjourned at twenty-nine minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Monday, the 10th March, 2008.

GIPMRND—3018RS—09.01.2009.